अधिकारियों और पर्यवेक्षको की शक्तियॉ और कर्तव्यः

पद **अधिकारियों के कर्तव्य**

वरिं.मंडल.इंजीनियर/स.:– बीकानेर संभाग के इंजीनियरिंग विभाग के समग्र प्रभारी, इंजीनियरिंग विभाग से संबंधित सभी गतिविधियों का समग्र प्रबंधन और समन्वय, निर्णय लेना, D&R मामलों का निपटान, विषेष कार्यो एवं जोन कार्यो की प्रगति के लिए ठेकेदारों से समन्वय बनाए रखना, मुख्यालय और मंडल के अन्य विभागों के साथ समन्वय।

वरिं.मंडल.इंजीनियर/पूर्वः– आरई–आरएमएन (किमी 270 तक), ROK-BNW और RE-SDLP (किमी. अपने अधिकार क्षेत्र से संबंधित D&R और आरटीआई मामलों का समय पर निपटन)

मंडल.इंजीनियर/उत्तरः– RMN-BTI-SOG, SRPR-SGNR-HMH (CLL) & HMH-SDLP के बीच दो उप–मंडलों यानी एडीईन/एचएमएच–। और एडीईएन/एचएमएच–।। सेक्षन की देखरेख (पी.वे. सहित किमी. 101 तक और संबंधित कार्य मदें अपने अधिकार क्षेत्र से संबंधित D&R और आरटीआई मामलों का समय पर निपटन)

वरिं.मंडल.इंजीनियर/पश्चिमः–SOG-BKN, LGH-PLG (किमी 152 तक), SOG-APH & NPS-BKN (किमी. 437 से) के बीच पी.वे और संबंधित कार्यो सहित दो उप–मंडलों यानी एडीईएन/बीकानेर/लाईन और एडीईएन/सूरतगढ़ अनुभाग की देखभाल करना। अपने अधिकार क्षेत्र से संबंधित D&R और आरटीआई मामलों का समय पर निपटन)

मंडल.इंजीनियर/दक्षिणः– NWN-SDLP, HSR-SDLP, SDLP-BKN (किमी. 437 तक) & HMH-SDLP (किमी. 101 से) के बीच दो उप– मंडलों अर्थात एडीईएन/सादुलपुर और रतनगढ़ अनुभाग की देखरेख करना, जिसमें पी.वे. और अन्य संबंधित कार्य शामिल है। अपने अधिकार क्षेत्र से संबंधित D&R और आरटीआई मामलों का समय पर निपटन)

सहायक मंडल इंजीनियरः– सहायक अभियन्ता के कर्तव्यों का विस्तृत विवरण के विभिन्न अध्यायों में उल्लेख है कि इंडियन रेलवे परमानेंट वे मैनुअल, इंडियन रेलवे वर्क्स मैनुअल और इंडियन रेलवे ब्रिज मैनुअल, सबसे जरूरी हैः

(1)सन्तोषजनक और सुरक्षित स्थिति में ट्रैक और सभी संरचनाओं का निरीक्षण और रखरखाव।

(2)योजनाओ और अनुमानों की तैयारीः ट्रैक सहित अन्य सभी कार्यो का निष्पादन और मापन काम करता है।

(3)स्टॉक धारकों द्वारा रखे गए स्टोर की सामग्री का सत्यापन।

(4)ट्रैक नवीनीकरण कार्यक्रम, राजस्व बजट और कार्य, कार्यक्रम में शामिल करने के प्रस्तावें को प्रस्तुत करना।

(5)अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ समन्वय।

(6)स्टाफ मामलें– सहायक अभियंता यह सुनिष्चित करेगा किः (1) नियमों के ढ़ांचे के भीतर सख्त अनुषासन बनाए रखा जाता है (2) सेवा और छुट्टी रिकॉर्ड सही और अद्यतित रखा जाता हैः (3) अपील और अभ्यावेदन पर तुरंत कार्यवाई की जाती हैः (4) विभिन्न पदों जैसे मेट और की–मेन के लिए चयन प्रकिया का समय पर निपटान किया जाता है और पदों को तुरंत भर दिया जाता है। (5) उसके अधीन काम करने वाले सभी निरिक्षक और अन्य कर्मचारी उचित स्तर पर रखरखाव प्रथाओं, सरंक्षा और सुरक्षा नियमों में उचित प्रषिक्षण प्राप्त करते है।

पद	**पर्यवेक्षको के कर्तव्य**
एसएसई/पी.वे.	एसएसई/पी.वे. आम तौर पर इसके लिए जिम्मेदार होता हैः (1) यातायात के लिए, संतोषजनक और सुरक्षित स्थिति में ट्रैक का निरीक्षण और रखरखाव लिए। (2) ट्रैक रखरखाव के लिए प्रासंगिक सभी कार्यो का कुषल निष्पादन, जिसमें शामिल हैः ट्रैक रिले का कार्य। (3) अपने प्रभार में स्टोर और औजारों का लेखा और आवधिक सत्यापन। (4) स्टेषनों के बीच और महत्वहीन भूमि की सीमाओं का रखरखाव स्टेषन प्रषासन द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते है। (5) अन्य विभागों के कार्यो, पुलों और कर्मचारियों के साथ समन्वय। (6) उच्च अधिकारियों के निरीक्षण पर साथ देना।
एसएसई/वर्क्स	अनुभाग अभियंता (कार्य) के कर्तव्यों का विवरण भारतीय रेल निर्माण नियमावली के विभिन्न अध्यायों में उल्लेखित है, जिनमें सबसे आवष्यक हैः– (1) निरीक्षण और रखरखावः– सेवा भवन, स्टाफ क्वार्टर और अन्य संरचनाएं– पहुंच मार्ग, जल आपूर्ति, जल निकासी और सीवरेज सिस्टम (2) सौंपे गए पुल कार्यो का निरीक्षण। (3) सभी नए भवनों/संरचनात्मक कार्यो का निष्पादन। (4) अपने प्रभार में स्टोर और उपकरणों का लेखा और आवधिक सत्यापन। (5) भूमि की सीमाओं का रखरखाव, जैसा कि निर्दिष्ट है। (6) अपने मुख्यालय और अन्य स्थानों पर अतिक्रमण हटानाः– निर्दिष्ट के रूप में, उसके अधिकार क्षेत्र में। (7) वनरोपण और अन्य बागवानी कार्य। (8) वह अपने अधीन कर्मचारियों को उचित प्रषिक्षण सुनिष्चित करेगा जैसा कि सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रषिक्षण मॉडयूंल में निर्धारित है। (10) अन्य विभागों के पी.वे. ब्रिज और स्टाफ के साथ समन्वय।